

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 1310

दिनांक:- 20.12.18

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/बोकारो।
वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, देवघर/गिरिडीह।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल।

विषय :- 220 KV D/C जसीडीह-गिरिडीह ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल अन्तर्गत 40.789 हे० एवं देवघर वन प्रमंडल अन्तर्गत 12.9614 हे० कुल 53.7504 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- 1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह का पत्रांक 1093 दिनांक 01.11.2018
2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर का पत्रांक 2044 दिनांक 08.12.2018

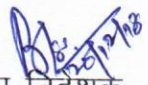
महोदय,

प्रांसगिक पत्रों द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 53.7504 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच-पाँच प्रतियाँ प्रत्येक वन प्रमंडल से इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। इस परियोजना की ट्रांसमिशन लाईन दो वन प्रमंडलों क्रमशः गिरिडीह पूर्वी एवं देवघर वन प्रमंडल से होकर गुजरेगी। प्रस्ताव की पूर्ण जांच के क्रम में निम्नलिखित त्रुटियाँ/कमियाँ परिलक्षित हुई है:-

1. Online- Part-I में area to be diverted के संपूर्ण alignment का KML file upload नहीं है। केवल एक Patch का KML दिखता है। अतः संपूर्ण आरेखण का KML file जिसमें अपयोजित होने वाले खण्डों को चिह्नित किया गया है upload कराया जाय।
2. Part-II में Giridih Forest Division के CA land का केवल एक Segment/ Patch का KML upload किया गया है, जबकि Geo. referred map में CA land अन्य Patch भी परिलक्षित होता है। अतः CA हेतु चयनित सभी खण्डों का KML upload किया जाय।
3. Part-II में Giridih & Deoghar वन प्रमंडलों में वर्णित वृक्षों की संख्या एवं Hard Copy में उपलब्ध कराये गये वृक्षों की संख्या में अंतर है। जिसे स्पष्ट सुधार किया जाय।
4. Part-II में CF, Deoghar की अनुसंशा online uploaded नहीं है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त कमियों/त्रुटियों का विन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन


उप निदेशक,